न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्मांक 898 / 2009 संस्थापित दिनीक 23 / 11 / 2009 फाईलिंग नम्बर 230303001382009

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— मौ, जिला भिण्ड म०प्र0

.... अभियोजन

बनाम

 केदार सिंह पुत्र श्री अतर सिंह यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सलमपुरा थाना मौ, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 341, 336, 427, 323 एवं 506 भाग—2 भा0द0स0) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।) (आरोपी केदार द्वारा अधिवक्ता—श्री एम.एस. यादव।)

<u>:- नि र्ण य --:</u> (आज दिनांक 16/03/2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 28.05.09 को रात्रि करीबन 23:00 बजे ग्राम सलमपुरा के सामने मौ झांकरी रोड पर फरियादी रामेन्द्र शर्मा को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करने, रामेन्द्र शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, उपेक्षा अथवा उतावलेपन से पत्थर फेंककर मानवजीवन एवं फरियादी रामेन्द्र शर्मा का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने, फरियादी रामेन्द्र शर्मा को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसकी आइशर गाडी में तोडफोड कर उसे 5–6 हजार रूपये का नुकसान कारित कर रिष्टी कारित करने एवं उसी समय आहत् महेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 341, 506 माग—2 336, 427 एवं 323 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.09 को रात्रि करीबन 11:00 बजे फरियादी रामेन्द्र शर्मा अपने आइशर केन्टर गाडी को चलाकर ग्राम बमटौली से सरसों की टूरी भरने जा रहा था उसके साथ गाडी में टूरी खरीदने वाले रिवन्द्र यादव, अमित यादव एवं महेन्द्र यादव बैठे हुए

प्रतिकि उन्निक मानिक मानिक प्रताम क्षेत्री मानिक प्रतास क्षेत्री थे। रास्ते में मौ डाक बंगला के मोड पर ग्राम सलमपुरा के तीन चार लोगें ने गाडी में बैटने क हाथ देकर गाडी रूकवाने की कोशिश की थी तो उसने गाडी नहीं रोकी थी फिर उन लोगों ने प्राप सलमपुरा के लोगों को मोबाइल से गलत खबर कर दी थी कि केन्टर वाले ने एक्सीडेंट कर दिया है। जब उसकी गांडी ग्राम सलमपुरा के सामने रोड पर पहुंची थी तो ग्राम सलमपुरा के आरोपी राजू, बेताल, इंन्द्रभान, गोटे यादव ने उसकी गाडी को लाठी-पत्थर लेकर आगे से रोक लिया था एवं उसे व उसके साथियों को गाडी से पकडकर नीचे खींचने की कोशिश की थी तो वह लोग डर के कारण बिलायती बबूल में छिप गए थे। उन लोगों ने पत्थर मारकर उसकी गाडी के आगे का शीशा दोनों साइड ग्लास, हैडलाइट, हॉर्न, डिक्की आदि तोड डाले थे उसे 5-6 हजार रूपये का नुकसान हुआ था। कुछ लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ उसके साथ के लोगों की पिटाई लगाने के लिए पीछा किया था। उसके साथ रविन्द्र, अमित का मोबाइल गिर गया था। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में अप० क0 108/09 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामीका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--

- क्या आरोपी ने दिनांक 28.05.09 को रात्रि करीबन 23:00 बजे ग्राम सलमपुरा के सामने मौ झांकरी रोड पर फरियादी रामेन्द्र शर्मा को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया?
- क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से पत्थर फेंककर मानवजीवन एवं फरियादी रामेन्द्र शर्मा का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया? 3.
 - क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रागेन्द्र शर्मा को सदोष हानि करने के आशय से उसकी आइशर गाड़ी में तोडफोड़ कर उसे 5-6 रूपये का नुकसान कर रिष्टी कारित की?
- क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामेन्द्र शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया?
- क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत महेन्द्र की मारपीट कर उसे 5. स्वेच्छया उपहति कारित की?
- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी रविन्द्र अ०सा० 1, अमित यादव अ०सा०२, रामवतार अ०सा०३, आहत महेन्द्र अ०सा०४ एवं विनोद जैन अ०सा०५ को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया हैं।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कुमांक 1 लगायत 5

- 6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कई अवसर दिए जाने के पश्चात भी अभियोजन द्वारा फरियादी रामेन्द्र एवं विवेचक जसराम सिंह को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष आहत महेन्द्र अ0सा4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से छः साल पूर्व आरोपीगण ने उनकी गाड़ी में पत्थर मारकर 5–6 हजार का नुकसान कर दिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसका रास्ता रोककर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
- 8. शेष साक्षी रिवन्द्र अ०सा०1, अमित यादव अ०सा०2, रामवतार अ०सा०3 एवं विनोद अ०सा०5 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।
- 9. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- 10. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में कई अवसर दिए जाने के बाद भी अभियोजन द्वारा फरियादी रामेन्द्र को परीक्षित नहीं कराया जा सका है शेष आहत महेन्द्र अ०सा०४ ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया है। शेष साक्षी रिवन्द्र अ०सा०1, अमित यादव अ०सा०2, रामवतार अ०सा०3 एवं विनोद जैन अ०सा०5 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया गया है।
- 11. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी रामेन्द्र को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है शेष साक्षी आहत महेन्द्र अ0सा04, रिवन्द्र अ0सा01, अमित अ0सा02, रामवतार अ0सा03 एवं विनोद अ0सा05 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी रामेन्द्र शर्मा एवं आहत महेन्द्र के साथ घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 12. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति

16/39/18 THE WALL THE PARTY OF THE PARTY OF

Control of the Contro

उचित है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 28.05.09 को रात्रि करीबन 23:00 बजे ग्राम सलमपुरा के सामने मौ झांकरी रोड में फरियादी रामेन्द्र शर्मा को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया, रामेन्द्र शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया, उपेक्षा अथवा उतावलेपन से पत्थर फेंककर मानवजीवन एवं फरियादी रामेन्द्र शर्मा का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया, फरियादी रामेन्द्र शर्मा को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसकी आइशर गाडी में तोडकोड कर उसे 5–6 हजार रूपये का नुकसान कारित कर रिष्टी कारित की एवं उसी समय आहत महेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी केदार सिंह को भावद०स० की धारा 341, 506 भाग–2 336, 427 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान — गोहद दिनांक — 16—03—2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

16/3/8 प्रसिन्ध्या अवस्था। नामिके प्राराप्त सी., गोहदंगा गोहद्देगिला भिण्ड(म०प्रत) मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

16/3/18

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जे.एम.एफ.सी., गोहद गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) माहद जिला भारत कराउँ